संख्या- 6 /2018/ 498 /अड़तीस-5-2018-27 बजट/2017

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 6 फरवरी, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्लू0पी0) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-13)

महोदय,

उपर्युक्त विषय में वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 738/डब्लू -409(corr.) / 2017, दिनांक 24 नवम्बर, 2017, एवं अनु सचिव (जल) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति आदेश संख्या- डब्लू-11020/54/2015- वाटर-1/83, दिनांक 09 नवम्बर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से पेयजल कार्यक्रम के सपोर्ट एवं डब्लू क्यू एम एण्ड एस मद में रू0 1487.48 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की सम्पूर्ण धनराशि रू0 1487.48 लाख निर्गत की जा चुकी है। प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश् की धनराशि रू0 991.65 लाख (रूपये नौ करोड़ इक्यानबे लाख पैसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान संख्या	पेयजल कार्यक्रम के घटक	भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि	अनुमन्य केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि	केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की धनराशि	अनुमन्य राज्यांश के सापेक्ष निर्गत राज्यांश
1	2			5	6
13	सपोर्ट	788.33	788.33	525.55	525.55
	डब्लू क्यू एम एण्ड एस	699.15	699.15	466.10	466.10
	योग	1487.48	1487.48	991.65	991.65

(रूपये नौ करोड़ इक्यानबे लाख पैसठ हजार मात्र)

(I) **धनराशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।**

(II) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक/ डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(III) धनराशि जिस घटक हेतु अवमुक्त की जा रही है उसका व्यय उसी घटक के निर्धारित कार्यो/ मदों में किया जायेगा।

(IV) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा उसका व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

(V) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

(VI) उक्त वित्तीय स्वीकृति का व्यय भारत सरकार के स्वीकृत आदेश एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 03-08-2017 एवं तत्क्रम में निर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-12/2017 बी-1-1455/दस-2017-231/ 2017 दिनांक 20-11-2017 में उल्लिखित शर्तो / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(VII) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/ भारत सरकार तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश,

2- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई विसंगति हो तो शासन को तत्काल सूचित किया जाएगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यक के अनुदान संख्या-013 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय -01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-02-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-0201-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0 डब्लू0 पी0) (के050/रा050-के0+रा0)-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- ई-2-104 / दस-2018- दिनांक 31 जनवरी, 2018 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

संख्याः 6 /2018/ 498 (1)/अड़तीस-5-2018-27 बजट/2017, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अनु सचिव (जल), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, पंडित दीन दयाल अन्त्योदय भवन, चतुर्थ तल, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 को उनके उक्त पत्र सं0- डब्लू-11020/54/ 2015- वाटर-1/83, दिनांक 09 नवम्बर, 2017 के क्रम में।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
(3) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।
(8) नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
(10) विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।